राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बांद्रा (पू) मुंबई -400051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फ़ैक्स :+911 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • website :www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office: BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Tel. +91 22 2652 4926 * Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org * website : www.nabard.org

संदर्भ.सं.राबैं(पुनर्वित)/जीएसएस/ 1664 / डीईडीएस-1/ 2017-18 14 जुलाई 2017

कार्यालय परिपत्र सं. 174 /पुवि - 39 /2017

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक / सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ रासकृग्रावि बैंक
सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

प्रिय महोदय

डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) - भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों, ग़रीबी की रेखा के नीचे आने वाले और अनुसूचित जाती / अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को वरीयता देना.

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) को जारी रखने के प्रशासनिक अनुमोदन की सूचना देते हुए 26 मई 2017 के हमारे कार्यालय परिपत्र सं.132 / डीओआर - 29 /2017 के क्रम में देश के सूखे से पीड़ित, बाढ़, नक्सल और आतंकवाद से प्रभावित ज़िलों को वरीयता देने के साथ-साथ डीईडीएस योजना के अधीन घटक 1 से 3 तक के लिए भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों, ग़रीबी की रेखा के नीचे आने वाले और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के

Ref. No. NB (DoR)/GSS/ 1664 / DEDS - 1/ 2017-18 14 July 2017

Office Circular No.174 /DoR - 39 /2017

The Chairman/Managing Director
All Scheduled Commercial Banks
All RRBs/StCBs/SCARDBs /All Scheduled Primary Urban Co-operative Banks

Dear Sir

Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) - According priority to landless, small and marginal farmers, BPL and SC / ST beneficiaries.

In continuation of our Office Circular no. 132/DoR- 29/2017 dated 26 May 2017 conveying the Administrative Approval of continuing of Dairy Entrepreneurship Development Scheme (DEDS) for the Financial Year 2017-18, we advise that in addition to the priorities to be given to the beneficiaries from drought, flood, naxalite and terrorist affected districts of the country, priority should also be given to the landless, small and marginal farmers, BPL and SC/ST beneficiaries for component

लाभार्थियों को वरीयता दिया जाना चाहिए ताकि इस वर्ग को ज्यादा लाभ मिल सके. भवदीय (रोहित मिश्र) महाप्रबंधक	no. 1 to 3 under DEDS in order to provide maximum benefits to such categories. Yours faithfully (Rohit Mishra) General Manager